

**बिहार सरकार**  
**गृह विभाग**  
**(अभियोजन निदेशालय)**  
**अधिसूचना**

पटना, दिनांक 20/01/15

संख्या अ०नि०(०१) ३०/२०१४/स्था०.....६.६...../बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को प्रशासनिक एवं चिकित्सीय आधार पर स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-४ में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.	अभियोजन पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय नाम
1	2	3	4
1	श्री सत्यजीत सहायक अभियोजन पदाधिकारी	जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया	सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर, भागलपुर
2	श्री घनश्याम शुक्ला सहायक अभियोजन पदाधिकारी	जिला अभियोजन कार्यालय, भागलपुर	जिला अभियोजन कार्यालय पटना।

२. उपर्युक्त सहायक अभियोजन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया गया है, अतः उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक अ०नि०(०१) ३०/२०१४/स्था०.....६.६...../ दिनांक 20/01/15  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक अ०नि०(०१) ३०/२०१४/स्था०.....६.६...../ दिनांक...../ प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण), पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा-५, गृह(आ०) विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/ जिला अभियोजन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/ अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारियों/ पटल प्रभारियों तथा सभी संबंधित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२. सभी संबंधित सहायक अभियोजन पदाधिकारी नव पदस्थापन कार्यालय में अविलम्ब योगदान कर प्रतिवेदित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव